

2008/00320

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम छोडिया की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 476 में प्रार्थी का नाम चमार की जाति चमार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम / की जाति बैरवा दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम / की जाति चमार के बजाय बैरवा दर्ज किया जाना उचित होगा।

राजस्थान लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

अशोक मीणा
पटवारी, प. न. कोठिया
तह. फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट पटवारी जांच एक संशोधन रसीदर को यहाँ
तहसीलदार
फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

उ.सं. 337/18
आदेश
कैम्प. कोठिया. दिनांक-7/6/18

उक्त रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां के सामने कोठिया की
(माब-5) संवत् 2072-2075 के खाता सं. 476 में चमार
चमार के लक्षण दर्ज करने का आदेश दिया जा रहा है।

पालनाथ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजा जावे।



उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
फूलियाकलां जिला-भीलवाड़ा
फूलियाकलां